



नियमावली- 2026 (हिन्दी रूपांतरण)

महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

युवा तरंग – 2026

दिनांक : 12-14 फरवरी 2026

दंड प्रणाली

अपात्रता के आधार पर किसी भी प्रतिभागी को अयोग्य घोषित किए जाने की स्थिति में, उस शैक्षणिक वर्ष के लिए उस “दल का पंजीकरण स्वतः ही रद्द” कर दिया जाएगा। उस दल को आगामी वर्षों में आयोजित होने वाली युवा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से भी वंचित कर दिया जाएगा।

अपात्रता के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया प्रतिभागी अगले वर्ष अंतर-विश्वविद्यालय युवा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी छात्र, संगतकार या टीम द्वारा किसी भी प्रकार का “अशोभनीय व्यवहार” अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बनेगा। इसके परिणामस्वरूप टीम को कार्यक्रम/उत्सव में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। निम्नलिखित गतिविधियाँ पूर्णतः वर्जित हैं:

- शराब का सेवन/धूम्रपान
- छेड़खानी
- निर्णायकों को प्रभावित करना
- किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर विश्वविद्यालय के विरुद्ध प्रेस/मीडिया के पास जाना
- परिसर और आयोजन स्थल के अंदर और/या बाहर अशोभनीय व्यवहार

अंकन पद्धति (SCORING)

निर्णायकों द्वारा मूल्यांकन और अंक देने की पद्धति विश्वविद्यालय द्वारा घोषित मानकों (Parameters) पर आधारित होगी। प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रत्येक मानक के लिए निर्धारित “भार (Weightage), महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय (MSDU), आजमगढ़ से अनुमोदित कराया जाएगा और युवा उत्सव के निर्देशों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

उत्तरदायित्व का अस्वीकरण (DISCLAIMER OF LIABILITY)

प्रतियोगी युवा उत्सव में पूरी तरह से “अपने जोखिम पर” भाग लेंगे। आयोजन प्राधिकरण/मेजबान विश्वविद्यालय, युवा उत्सव के साथ, या उससे पहले, उसके दौरान या बाद में हुई किसी भी भौतिक क्षति, व्यक्तिगत चोट या मृत्यु के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा।

पुरस्कार

विश्वविद्यालय के मानदंडों और परंपराओं के अनुसार, प्रतियोगिता की विजेता टीम को “चल वैजयंती” रोलिंग ट्रॉफी के रूप में प्रदान की जाएगी।

यह ट्रॉफी प्रतियोगिता के अगले संस्करण के समापन तक विजेता विश्वविद्यालय/संस्थान के पास रहेगी, जिसके बाद इसे अगली विजेता टीम को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

विजेता विश्वविद्यालय/संस्थान अपने कब्जे के दौरान “चल वैजयंती” की सुरक्षित अभिरक्षा, उचित रख रखाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

ट्रॉफी को अगले युवा उत्सव में या विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उचित और क्षतिरहित स्थिति में प्रस्तुत करना होगा।

अभिरक्षा की अवधि के दौरान “चल वैजयंती” की क्षति, हानि या दुरुपयोग की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान जिम्मेदार होगा, और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई या जुर्माना लगाया जा सकता है।

स्थान की उपलब्धता और विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन के अधीन, विजेता विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम और पुरस्कार का वर्ष ट्रॉफी पर अंकित किया जा सकता है।

“चल वैजयंती” के पुरस्कार, अभिरक्षा और रोटेशन के संबंध में आयोजन समिति/विश्वविद्यालय अधिकारियों का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

नियम एवं विनियम (Rules and Regulations)

संगीत (Music)

1. शास्त्रीय गायन एकल (हिंदुस्तानी / कर्नाटक)

- I. प्रत्येक संस्थान से केवल एक प्रतिभागी को भाग लेने की अनुमति होगी।
- II. प्रस्तुति की अवधि 8 से 10 मिनट होगी।
- III. मंच/वाद्य यंत्र की तैयारी हेतु अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जाएगा।
- IV. संगतकारों (Accompanists) की अधिकतम संख्या 3 होगी।
- V. प्रस्तुति हिंदुस्तानी, कर्नाटक, बॉलीवुड अथवा क्षेत्रीय शैली में दी जा सकती है।
- VI. अश्लील अथवा आपत्तिजनक फिल्मी गीतों की प्रस्तुति अनुमन्य नहीं होगी।
- VII. गीत, राग एवं बंदिश के चयन में पर्याप्त विचार एवं सावधानी अपेक्षित है।
- VIII. निर्णयन निम्नलिखित गुणों के आधार पर किया जाएगा—
 - ताल
 - सुर
 - राग का चयन
 - राग का विस्तार
 - बंदिश
 - आलाप, तान, लयकारी
 - समग्र प्रभाव
- IX. संगत सजीव (Live) होनी चाहिये रिकॉर्डेड संगीत की अनुमति नहीं है।
- X. इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र की अनुमति नहीं है।
- XI. यदि प्रतिभागी न्यूनतम निर्धारित समय से कम में प्रस्तुति समाप्त करता/करती है, तो वह अयोग्य घोषित किया जाएगा।

2. शास्त्रीय वाद्य एकल (ताल वाद्य / Percussion – ताल वाद्य)

- I. प्रत्येक संस्थान से केवल एक प्रतिभागी को अनुमति होगी।
- II. प्रस्तुति की अवधि 8 से 10 मिनट होगी।
- III. मंच/वाद्य यंत्र की तैयारी हेतु अधिकतम 5 मिनट का समय अनुमन्य होगा।
- IV. संगतकारों की अधिकतम संख्या 3 होगी।
- V. प्रतिभागी अपने स्वयं के वाद्य यंत्र साथ लाएँगे।
- VI. प्रस्तुति हिंदुस्तानी अथवा कर्नाटक शैली में की जा सकती है।
- VII. निर्णयन निम्नलिखित गुणों के आधार पर किया जाएगा—
 - ताल
 - राग का चयन
 - बंदिश
 - कायदा

- रेला
- टुकड़ा
- लयकारी
- समग्र प्रभाव

IX. संगत सजीव (Live) होनी चाहिए; रिकॉर्डेड संगीत वर्जित है।

X. इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र की अनुमति नहीं है।

XI. न्यूनतम समय से कम प्रस्तुति देने पर प्रतिभागी अयोग्य घोषित किया जाएगा।

3. शास्त्रीय वाद्य एकल (गैर-ताल वाद्य / Non-Percussion – स्वर वाद्य)

- I. प्रत्येक संस्थान से केवल एक प्रतिभागी को भाग लेने की अनुमति होगी।
- II. प्रस्तुति की अवधि 8 से 10 मिनट होगी।
- III. मंच/वाद्य यंत्र की तैयारी हेतु अधिकतम 5 मिनट का समय अनुमन्य होगा।
- IV. संगतकारों की अधिकतम संख्या 3 होगी।
- V. प्रतिभागी अपने स्वयं के वाद्य यंत्र लाएँगे। कैसियो (Casio) की अनुमति नहीं है।
- VI. भारतीय राग प्रणाली के अनुरूप अपनाए गए पाश्चात्य मूल के वाद्य यंत्र अनुमन्य हैं।
- VII. प्रस्तुति हिंदुस्तानी अथवा कर्नाटक शैली में दी जा सकती है।
- VIII. निर्णयन निम्नलिखित गुणों के आधार पर किया जाएगा—
 - स्वर
 - ताल
 - राग का चयन
 - राग विस्तार
 - आलाप
 - तान
 - लयकारी
 - बंदिश
 - समग्र प्रभाव

IX. संगत सजीव (Live) होनी चाहिए रिकॉर्डेड संगीत की अनुमति नहीं है।

X. न्यूनतम निर्धारित समय से कम प्रस्तुति देने पर प्रतिभागी अयोग्य घोषित किया जाएगा।

4. लाइट वोकल (भारतीय)

- I. प्रत्येक संस्थान से केवल एक प्रतिभागी को भाग लेने की अनुमति होगी।
- II. गीत की प्रस्तुति अवधि 4 से 6 मिनट होगी।
- III. मंच/वाद्य यंत्र की तैयारी हेतु अधिकतम 3 मिनट का समय अनुमन्य होगा।
- IV. संगतकारों की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी।
- V. केवल गैर-फिल्मी गीत/गीत (गीत), गजल, भजन, शबद एवं अभंग की प्रस्तुति अनुमन्य होगी।
- VI. निर्णयन निम्नलिखित गुणों के आधार पर किया जाएगा—

- स्वर
- ताल
- राग का चयन
- गीत का चयन
- सौंदर्यबोध (Aesthetics)
- उच्चारण
- अभिव्यक्ति
- रचना
- समग्र प्रभाव

- VII. संगत सजीव (Live) होनी चाहिए रिकॉर्डेड संगीत की अनुमति नहीं है।
- VIII. इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र की अनुमति नहीं है।
- IX. यदि प्रतिभागी न्यूनतम निर्धारित समय से कम में प्रस्तुति समाप्त करता/करती है, तो वह अयोग्य घोषित किया जाएगा।

5. पाश्चात्य गायन एकल (Western Vocal Solo)

- I. प्रत्येक संस्थान से केवल एक प्रतिभागी को अनुमति होगी।
- II. गीत की प्रस्तुति अवधि 4 से 6 मिनट होगी।
- III. मंचवाद्य यंत्र की तैयारी हेतु अधिकतम 3 मिनट का समय अनुमन्य होगा।
- IV. संगतकारों की संख्या 3 से अधिक नहीं होगी।
- V. गीत की भाषा केवल अंग्रेजी होगी।
- VI. निर्णयन निम्नलिखित गुणों के आधार पर किया जाएगा—
 - रचना (Composition)
 - लय (Rhythm)
 - समन्वय (Coordination)
 - समग्र प्रभाव
- VII. संगत सजीव (Live) होनी चाहिए रिकॉर्डेड संगीत की अनुमति नहीं है।
- VIII. यदि प्रतिभागी न्यूनतम निर्धारित समय से कम में प्रस्तुति समाप्त करता/करती है, तो वह अयोग्य घोषित किया जाएगा।

7. समूह गीत (भारतीय)

- प्रत्येक संस्थान/विश्वविद्यालय से केवल एक प्रविष्टि अनुमन्य होगी।
- एक समूह में अधिकतम छह गायकधगायिकाएँ हो सकती हैं।
- प्रस्तुति की अवधि 8 से 10 मिनट के बीच होगी।
- मंच सज्जा, वाद्य यंत्रों की व्यवस्था, साउंड चेक एवं समग्र तैयारी हेतु अनुमन्य समय (जहाँ लागू हो) 5 मिनट से अधिक नहीं होगा।
- अधिकतम पाँच संगतकार अनुमन्य होंगे।
- प्रत्येक दल को दो गीत प्रस्तुत करने होंगे— एक देशभक्ति गीत तथा एक लोक गीत।

- समूह गीत भारतीय संगीत परंपरा से चयनित होने चाहिए तथा किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- फिल्मी गीतों की समूह गीत के रूप में प्रस्तुति अनुमन्य नहीं है।
- संगत सजीव (Live) होनी चाहिए रिकॉर्डेड संगीत, म्यूजिकल पैचेज या की-बोर्ड प्रीसेट्स की अनुमति नहीं है।
- की-बोर्ड (Keyboard) की अनुमति नहीं है।
- निर्णयन केवल निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा
 - गायन की गुणवत्ता
 - गीत का चयन
 - उच्चारण
 - ठेका (Theka)
 - समन्वय

मेकअप, परिधान अथवा मंचीय क्रियाओं के आधार पर अंकन नहीं किया जाएगा।

8. समूह गीत (पाश्चात्य / Western)

- प्रत्येक संस्थान से केवल एक प्रविष्टि अनुमन्य होगी।
- एक समूह में अधिकतम 6 गायक/गायिकाएँ हो सकती हैं तथा वाद्य यंत्र बजाने वाले अधिकतम 3 संगतकार अनुमन्य होंगे।
- समूह गीत केवल अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए।
- समूह गीत की अधिकतम प्रस्तुति अवधि 10 मिनट होगी; इसमें मंच/सेटिंग का समय शामिल नहीं होगा।
- समूह के लिए मंच/सेटिंग का समय 5 मिनट से अधिक नहीं होगा।
- इस विधा में निर्णयन केवल गायन की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा
- मेकअप, परिधान एवं मंचीय क्रियाओं को अंकन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

नृत्य (Dance)

1. शास्त्रीय नृत्य (भारतीय)

- प्रत्येक संस्थान/विश्वविद्यालय से केवल एक प्रतिभागी को भाग लेने की अनुमति होगी।
- शास्त्रीय नृत्य भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नृत्य शैली का हो सकता है, जैसे— कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी अथवा सत्रिया।
- प्रतिभागियों को मंच सज्जा, वाद्य यंत्रों की व्यवस्था, साउंड चेक एवं समग्र लय-संतुलन हेतु अधिकतम 5 मिनट का समय अनुमन्य होगा। अधिकतम पाँच संगतकार अनुमन्य होंगे।
- प्रस्तुति की अवधि न्यूनतम 8 मिनट तथा अधिकतम 10 मिनट होगी।
- लोक/शास्त्रीय नृत्य के दौरान रिकॉर्डेड संगीत अथवा ऑडियो/सीडी की अनुमति नहीं है।
- निर्णयन निम्नलिखित गुणों के आधार पर किया जाएगा—

- ताल
 - तकनीक
 - लय
 - अभिनय अथवा भावाभिव्यक्ति
 - परिधान
 - पदचालन (Footwork)
 - समग्र प्रभाव
- संगत सजीव (Live) होनी चाहिए ऑडियो/सीडी की अनुमति नहीं है।
 - यदि प्रतिभागी न्यूनतम निर्धारित समय से कम में प्रस्तुति समाप्त करता/करती है, तो वह अयोग्य घोषित किया जाएगा।

2. समूह नृत्य (GROUP DANCE)

- I. प्रति संस्थान/विश्वविद्यालय केवल एक प्रविष्टि की अनुमति है।
- II. प्रदर्शन की अवधि 8 से 10 मिनट के बीच होनी चाहिए।
- III. प्रत्येक टीम में अधिकतम 10 प्रतिभागियों की अनुमति है।
- IV. अधिकतम पांच संगतकारों (accompanists) की अनुमति है।
- V. स्टेज सेटअप, वाद्य यंत्रों की व्यवस्था, साउंड चेक और समग्र तैयारी के लिए दिया गया समय 5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।
- VI. प्रदर्शन में नृत्य के माध्यम से एक स्पष्ट विषय (Theme) या संदेश प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विषय सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त होना चाहिए और अधिमानतः (Preferably) युवा-केंद्रित, राष्ट्र-केंद्रित, या सामाजिक मुद्दों पर आधारित होना चाहिए।
- VII. यदि कोई प्रॉप्स (Props) हों, तो टीमों को स्वयं उनका प्रबंध करना होगा या साथ लाना होगा।
- VIII. कोरियोग्राफी का मूल्यांकन इन मापदंडों के आधार पर किया जाएगा: विषय और संदेश की स्पष्टता, कोरियोग्राफी और रचनात्मकता, तालमेल और समन्वय (synchronization), मंच और प्रॉप्स का उपयोग, वेशभूषा, और समग्र प्रभाव।

साहित्यिक प्रतियोगिताएँ (Literary Events)

1. सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी (General Quiz)

- I. प्रत्येक संस्थान/विश्वविद्यालय से केवल एक प्रविष्टि मान्य होगी।
- II. प्रतियोगिता में पहले लिखित प्रारंभिक दौर आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर टीमों का चयन अंतिम चरण के लिए किया जाएगा।
- III. अंतिम चरण मौखिक होगा तथा इसमें श्रव्य-दृश्य (ऑडियो-विजुअल) प्रश्न सम्मिलित होंगे।
- IV. मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु निर्धारित समय तथा विभिन्न राउंड्स के प्रकार से संबंधित विशिष्ट नियम प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व अवगत करा दिए जाएंगे।
- V. प्रश्नोत्तरी संचालक (क्विज मास्टर) का निर्णय प्रश्नों के प्रकार, राउंड्स, अंकन प्रणाली, टाई-ब्रेकिंग प्रक्रिया एवं अन्य सभी संबंधित विषयों में अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

2. वाद-विवाद प्रतियोगिता (अंग्रेजी)

- I. प्रत्येक संस्थान/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व दो वाद-विवादकों द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक पक्ष में तथा दूसरा विपक्ष में वक्तव्य देगा।
- II. अभिव्यक्ति का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा।
- III. वाद-विवाद का विषय/प्रस्ताव प्रबंधकों की बैठक में घोषित किया जाएगा।
- IV. प्रत्येक वाद-विवादक को 4 से 5 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा।
- V. कागज या किसी अन्य स्रोत से पढ़कर बोलना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

3. वाद-विवाद प्रतियोगिता (हिंदी)

- I. प्रत्येक संस्थान/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व दो वाद-विवादकों द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक पक्ष में तथा दूसरा विपक्ष में वक्तव्य देगा।
- II. अभिव्यक्ति का माध्यम केवल हिंदी होगा।
- III. वाद-विवाद का विषय/प्रस्ताव प्रबंधकों की बैठक में घोषित किया जाएगा।
- IV. प्रत्येक वाद-विवादक को 4 से 5 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा।
- V. कागज या किसी अन्य स्रोत से पढ़कर बोलना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

रंगमंच (THEATRE)

I. नाटक (DRAMA)

- I. प्रत्येक संस्थान/विश्वविद्यालय से केवल एक प्रविष्टि की अनुमति है।
- II. इस प्रतियोगिता में अधिकतम नौ प्रतिभागियों को भाग लेने की अनुमति है।
- III. प्रदर्शन की अवधि 8 से 10 मिनट के बीच होनी चाहिए।
- IV. स्टेज सेटअप, वाद्य यंत्रों की व्यवस्था, साउंड चेक और समग्र तैयारी के लिए दिया गया समय 5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।
- V. अधिकतम तीन संगतकारों (Accompanists) की अनुमति है।
- VI. मेकअप, वेशभूषा और पृष्ठभूमि संगीत के उपयोग की अनुमति है। हालांकि, व्यक्तिगत टिप्पणी, लांछन, चरित्र हनन आदि की अनुमति नहीं है।
- VII. प्रतिभागी टीम को पंजीकरण के दिन ही स्किट (लघु नाटिका) के विषय का संक्षिप्त विवरण (synopsis) और प्रस्तुति की भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) की तीन प्रतियां जमा करनी होंगी।
- VIII. नाटक का मूल्यांकन मुख्य रूप से विषय-वस्तु (Theme), अभिनय, मंच-कला (stagecraft), डिजाइन और समग्र प्रभाव जैसे गुणों पर किया जाएगा।
- IX. प्रस्तुति में अश्लीलता या कड़वे कटाक्षों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। केवल निर्दोष व्यंग्य या हास्य की ही अपेक्षा की जाती है।

ललित कला

I. ऑन द स्पॉट पेंटिंग (ON THE SPOT PAINTING)

- I. प्रत्येक संस्थान का प्रतिनिधित्व एक प्रतिभागी द्वारा किया जाएगा।
- II. यह प्रतियोगिता "ऑन द स्पॉट" (यथास्थान) आयोजित की जाएगी और प्रतिभागियों को प्रतियोगिता की शुरुआत में घोषित किए गए विषय पर पेंटिंग बनानी होगी।
- III. प्रतियोगिता की अवधि 2 घंटे से अधिक नहीं होगी।
- IV. पेंटिंग का आकार हाफ इंपीरियल साइज ड्राइंग पेपर यानी 22" x 15" होगा।
- V. पेंटिंग ऑयल (तेल), जल (water), पोस्टर, पेस्टल या एक्रिलिक रंगों आदि में की जा सकती है।
- VI. उम्मीदवार को अपनी सामग्री जैसे ब्रश, पेंट आदि स्वयं लाने होंगे। मेजबान संस्थान द्वारा केवल कागज/शीट प्रदान की जाएगी।

2. कोलाज

- I. प्रत्येक संस्थान का प्रतिनिधित्व एक प्रतिभागी द्वारा किया जाएगा।
- II. यह आयोजन दिए गए विषय पर स्पॉट पर आयोजित किया जाएगा, शीट साइज 22" x 15".
- III. अवधि 2 घंटे 30 मिनट से अधिक नहीं होगी।
- IV. प्रतिभागी अपनी कैंची, पेस्टिंग तथा कोलाज के लिए आवश्यक अन्य सामग्री स्वयं लाएंगे।
- V. कोलाज केवल पुरानी पत्रिकाओं से तैयार किया जाना है। मेजबान विश्वविद्यालय ड्राइंग पेपर प्रदान करेगा केवल।

3. पोस्टर मेकिंग

- I. प्रत्येक संस्थान का प्रतिनिधित्व एक प्रतिभागी द्वारा किया जाएगा।
- II. यह आयोजन स्पॉट पर आयोजित किया जाएगा तथा प्रतिभागियों से प्रतियोगिता प्रभारी द्वारा दिए गए विषय/थीम पर पोस्टर बनाने का अनुरोध किया जाएगा।
- III. अवधि 2 घंटे से अधिक नहीं होगी।
- IV. प्रतिभागी अपनी सामग्री स्वयं लाएंगे। केवल ड्राइंग पेपर/शीट 22" x 15". आयोजकों द्वारा प्रदान की जाएगी।

4. रंगोली

- I. प्रत्येक संस्थान का प्रतिनिधित्व एक प्रतिभागी द्वारा किया जाएगा।
- II. अवधि 2 घंटे से अधिक नहीं होगी।
- III. प्रतिभागी अपनी सामग्री स्वयं लाएंगे। यह कला विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में जानी जाती है जैसे मांडणा, अल्पना, आलेखन, कोलम, रंगोली आदि। इस माध्यम एवं रूप में अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हाथ, चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक हो सकती है।
- IV. केवल एक माध्यम का उपयोग किया जाएगा – पोस्टर कलर्स, फूल की पंखुरियाँ, चूरन या दालें या चावल बिना चिपकाए।
- V. प्रतिभागियों को आयोजकों द्वारा प्रदत्त स्थान (2.5 फीट • 2.5 फीट वर्ग फीट) के अंदर रंगोली तैयार करनी होगी।

VI. वृत्ताकार रंगोली के मामले में 2.5 फीट व्यास (2.5 फीट • 2.5 फीट) रंगोली।

6. स्पोर्ट फोटोग्राफी

- I. किसी संस्थान से एक प्रतिभागी भेजा जा सकता है।
- II. प्रतिभागी को 12 मेगापिक्सेल से अधिक न होने वाली अपनी डिजिटल कैमरा लानी होगी।
- III. प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पूर्व निर्णायकों द्वारा डिजिटल कैमरे की मेमोरी कार्ड फॉर्मेट की जाएगी।
- IV. अवधि 2 घंटे होगी।
- V. प्रतिभागी को निर्णायकों द्वारा स्पोर्ट पर घोषित थीम पर 5 फोटोग्राफ्स कैप्चर करने होंगे।
- VI. मिक्सिंग, मैचिंग या फोटोग्राफ्स की मॉर्फिंग की अनुमति नहीं होगी।
- VII. इमेजेस को बढ़ाने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग जैसे फोटोशॉप आदि की अनुमति नहीं होगी।
- VIII. आयोजकों को इन चित्रों के उपयोग के सभी अधिकार होंगे तथा जब वे उचित समझें तब उनका उपयोग कर सकते हैं।
- IX. डिजिटल इमेजेस का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा – (i) प्रभाव (ii) संरचना (iii) तकनीकी गुणवत्ता तथा (iv) विशिष्ट थीम के लिए उपयुक्तता।
- X. अतिरिक्त निर्देश स्पोर्ट पर घोषित किए जाएंगे।

8. मेहंदी

- I. मूलता, रचनात्मकता तथा सौंदर्यबोध के साथ सजावटी कला को श्रेय दिया जाएगा।
- II. हैंड प्रिंट, किसी भी प्रकार के मोल्ड तथा किसी भी प्रकार की सजावटी सामग्री का उपयोग अनुमत नहीं है।
- III. प्रतिभागी को अपनी मेहंदी तथा इसके लिए आवश्यक अन्य सामग्री स्वयं लानी होगी।
- IV. अवधि 2 घंटे से अधिक नहीं होगी।
- V. मेहंदी को हथेली की ओर पूर्वभाग (पामर साइड फोरआर्म) तक विस्तारित किया जाना चाहिए जिसमें न्यूनतम छह इंच की लंबाई हो।
- VI. प्रतिभागी को मॉडल के दोनों हाथों की हथेली की ओर मेहंदी लगानी होगी। मॉडल उसी विश्वविद्यालय का छात्र होना चाहिए।
- VII. प्रत्येक प्रतिभागी संस्था/विश्वविद्यालय केवल 1 छात्र प्रतिभागी नामित कर सकता है।

महत्वपूर्ण सूचना:

प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे विभिन्न आयोजनों में निर्धारित नियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा उनका कड़ाई से पालन करें। निर्णायकों द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम एवं सभी प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होंगे। यदि आवश्यक समझा जाए तो किसी भी विरोध को आयोजन समाप्ति के एक घंटे के अंदर संबंधित प्रतियोगिता के संयोजक को लिखित में प्रस्तुत करना होगा। निर्णायकों के मूल्यांकन या निर्णय से संबंधित मामलों पर कोई विरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, नियमों के उल्लंघन या प्रतियोगिता के दौरान अनुचित आचरण से संबंधित विरोध को अपील के लिए जूरी द्वारा विचार किया जा सकता है।

निर्धारित न्यूनतम समय से कम समय में अपना प्रदर्शन पूरा करने वाले प्रतिभागी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। अंतर-विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से, राज्य, राष्ट्रीय स्तर की सबसे उपयुक्त तथा योग्य छात्रों का चयन किया जाएगा तथा इस संबंध में प्रतियोगिता प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।